न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी , सवाई माधोपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :–हरि राम मीना ,आर.ए.एस.

पील संख्याः–43 / 2020

ी.सी.एम.एस .संख्याः–2020 / 00125

(225 आर.टी.एक्ट)

उनवान

1. मनभर देवी पत्नि हनुमान जाति बैरवा उम्र 51 वर्ष निवासी खिलचीपुर तहसील व जिला सवाई माधोपुर।

........अपीलान्टस्।

वनाम

1. श्यामलाल पुत्र धन्नालाल बैरवा उम्र 55 वर्ष निवासी निवासी खिलचीपुर तहसील सवाई माधोपुर ।
2. श्योनारायण पुत्र औंकार बैरवा उम्र 74 वर्ष निवासी खिलचीपुर तहसील व जिला सवाई माधोपुर , हाल निवासी अम्बेडकर कॉलोनी खेरदा सवाई माधोपुर ।
3. हरकेश पुत्र सांवल्या मीना निवासी खिलचीपुर तहसील सवाइ माधोपुर।
4. तहसीलदार, सवाई माधोपुर।

......रेस्पोंडेन्टस्।

उपस्थितः–

1. श्री राधेश्याम वैष्णव अभिभाषक अधिवक्ता
2. श्री जगदीश प्रसाद शर्मा रेस्पो0 संख्या 1 अधिवक्ता
3. श्री हरिसिंह मीना रेस्पो0 संख्या 3 अधिवक्ता
4. रेस्पो0 संख्या 2 स्वयं उपस्थित।
5. पैरोकार सरकार उपस्थित।

प्राधिकारी
ोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.02 10:37:28 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

[illegible]
अपील संख्या [illegible]

॥ निर्णय ॥

दिनांक 28.11.2022

1. यह अपील मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड सवाई माधोपुर जिला सवाई माधोपुर के दायर राजस्व वाद संख्या 53/2010 बजरंगलाल श्यामलाल बनाम श्योनारायण मीणा में पारित निर्णय दिनांक 30.01.2020 के विरुद्ध अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय हाजा में मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी सवाई माधोपुर में इस आशय का एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212(2) को पेश किया कि अप्रार्थी संख्या 1 ने अप्रार्थी संख्या 2 को बिना तकासमा कराये ही पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 04.08.2014 को करवा दिया। अप्रार्थी संख्या 3 ने अप्रार्थी संख्या 2 के नाम बेनामी संपति क्रय की है। अप्रार्थी संख्या 3 अनुसूचित जनजाति का है। इसका अप्रार्थी संख्या 2 की क्रयशुदा आराजी पर काश्त करना राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, धारा 42 का उल्लंघन है। अतः विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 3704 को कब्जेकाश्त लिया जावें। अदालत मातहत द्वारा एक पक्षीय सुनवाई करते हुए दिनांक 30.01.2020 को विवादित आराजीयात पर तहसीलदार सवाई माधोपुर को रिसीवर नियुक्त किया गया है। जिसके विरूद्व यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अपील में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उक्त आराजीयात पर अपीलान्ट का निरन्तर कब्जा काश्त है, उक्त भूमि से रेस्पोडेन्टस् का कोई संबंध किसी भी प्रकार का नही है। आराजीयात भूमि खसरा नम्बर 3704 रकबा 0.60 पर अपीलान्ट का ही निरंतर कब्जा काश्त है। इसके अतिरिक्त उक्त आराजीयात जिस ग्राम खिलचीपुर में स्थित है, उसी में खसरा नम्बर 3068 रकबा 0.67 है0, 3649 रकबा 0.54 है0, 3704 रकबा 0.60 है0, 3711 रकबा 0.19 , 3712 रकबा 0.21 है0, 3713 रकबा 0.20 है0, 3715 रकबा 0.23 है0, 3720 रकबा 0.30 है0, 3866 रकबा 0.10 है0, 3867 रकबा 0.35 है0, 3869 रकबा 0.21 है0 कुल रकबा 3.60 भूमि में से 1/6 हिस्सा अपीलान्ट का है। जिस पर अपीलान्ट का निरन्तर कब्जा काश्त है। मातहत अदालत ने अपीलान्ट/अप्रार्थी संख्या 2 को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान न करते हुए आदेश दिनांक 30.01.20 पारित किया। अतः. अपील अपीलांट स्वीकार कर मातहत अदालत उपखंड अधिकारी सवाई माधोपुर का उक्त आदेश

Signature Not Verified

Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.02 10:37:28 IST
Reason: SelfAttested

...ाधिकारी
...पुर

Scanned with CamScanner

. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया। हत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए उभयपक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस सुनी यी।

. सर्वप्रथम अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 05 लिमिटेशन एक्ट पर संक्षिप्त बहस करते हुये प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने की इस्तदुआ की गई।

6. सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम पर निर्णय किया जाना आवश्यक है। प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम को अपीलाण्ट द्वारा सशपथ सत्यापित किया है जबकि जवाब में कोई शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। इस कारण अपीलाण्ट के प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधि. के साथ संलग्न शपथ पत्र पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। विभिन्न माननीय न्यायालयों द्वारा भी मियाद बिन्दु के बारे में नरम रूख अपनाने के निर्देश देते हुए यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि वाद को गुणावगुण के आधार पर, न कि तकनीकी आधार पर निपटाया जाना चाहिए। फलस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 05 लिमिटेशन एक्ट स्वीकार किया जाता है।

7. मुख्य बहस में अपीलान्ट अधिवक्ता ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि आराजीयात अपीलान्ट ने इस भूमि के सहखातेदार श्योनारायण पुत्र औंकार बैरवा निवासी खिलचीपुर से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 04.08.2014 को विधिवत कय की थी , तब से उक्त आराजीयात पर अपीलान्ट का निरन्तर कब्जा काश्त है। श्यामलाल ने मातहत अदालत में श्योनारायण हरिसिंह व नाथी के कब्जेके संबंध में गलत व फर्जी शपथ पत्र पेश किये है,जिसकी सत्यता की जांच मातहत अदालत ने नही की तथा अपना निर्णय एक पक्षीय विधिक प्रावधानों के विपरीत पारित किया है। जो कि अपास्त किए जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर मातहत अदालत उपखण्ड़ अधिकारी सवाई माधोपुर का निर्णय दिनांक 30.01.2020 निरस्त फरमाया जावें।

8. जवाब बहस में रेस्पोडेन्ट अधिवक्ता ने कथन किया कि वादिनी ने बेनामी सम्पत्ति के आधार पर बिना किसी अधिकार के खसरा नम्बर 3704 रकबा 0.60 हैक्टेयर पर लट्ठ के जोर से कब्जा कर लिया है। हरकेश पुत्र सांवल्या मीना ने बेनामी सम्पत्ति वादिनी के नाम से खरीद की है। जिसपर कब्जा काश्त वर्तमान में भी हरकेश का ही है। जो कि विधि विरूद्व है। मातहत अदालत उपखण्ड़ अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा दिनांक 30.01.2020 पूर्ण रूपेण सही है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावें।

अपील प्राधिकारी
वाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.02 10:37:28 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

. हमारे द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं रिकॉर्ड ा अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया।

त्रावली मे रिकॉर्ड के अवलोकन से जाहिर आया कि अपीलांट जमाबन्दी 2072–2075 वाके ाम खिलचीपुर तहसील सवाई माधोपुर के खाता संख्या 407 मे कुल किता 11 रकबा 3.600 क्टेयर के 1/6 भाग पर रिकार्डेड खातेदार दर्ज है।

0. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, धारा 212(2) के प्रावधान निम्न प्रकार हैः–

'provision for injunction and appointement of a receiver-(1) If in the course of any suit or proceeding under this Act, it is proved by affidavit or otherwise-

(a) that any property ot which such suit or proceeding relates is in danger of being wasted, damaged or alienated by any party thereto, or

(b) that any party to such suit or proceeding threatens or intends to remove or dispose of the said property in order to defeat the ends of justice.

the court may grant a temporary injunction and, if necessary, appoint a receiver.

(2) Any person against whom an injunction has been granted or in respect of whose property a receiver has been appointed under sub-section (1) may offer cash security in such amount as the court may determine to compensate the opposite party in case the suit or proceeding is decided a against such security, the courty may with draw the injunction or the order appointing a receiver, as the case may be."

11. उपर्युक्त प्रावधान से यह स्पष्ट है कि यदि विवादित आराजीयात के क्षति कारित करने, हस्तान्तरण करने, दुर्व्यरन करने का खतरा हो तो रिसीवर नियुक्त किया जा सकता है। रिसीवर नियुक्त किया जाना एक कठोरतम उपचार है, इसको हल्के में नही लिया जाना चाहिए। रिसीवर नियुक्त करने का आदेश प्रभावित पक्षकार को विना सुने जारी नही किया जाना चाहिए। अदालत मातहत उपखण्ड़ अधिकारी सवाई माधोपुर कि आदेशिका के अवलोकन से जाहिर आया कि अपीलांट मनभर को किसी प्रकार की कोई नोटिस जारी नही किए गए। जबकि वाद तारीख को वह विवादित आराजीयात की रिकॉर्डेड खातेदार है। अब अपीलांट द्वारा अपील मीमो के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र में सशपथ यह सत्यापित किया गया है कि वह विवादित आराजीयात के कब्जे काश्त मे है। जमाबंदी के अवलोकन से भी जाहिर है कि अपीलांट विवादित आराजी के सहखातेदार [illegible] है। एक सहकाश्तकार का प्रत्येक इंच पर कब्जा होता है। एक कब्जेशुदा खातेदार [illegible] के आदश में बेदखल

ील प्राधिकारी
माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.02 10:37:28 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

नही किया जा सकता है। पत्रावली मे ऐसा कोई साक्ष्य नही है, जो यह साबित करता हो कि स्पोडेन्ट संख्या 3 द्वारा अपीलांट की खातेदारी पर जबरन कब्जा कर लिया हो या सहमति से काश्त कर रहा हो, या विवादित आराजीयात **Inmedio** हो। स्वयं अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा निर्णय दिनांक 30.01.2020 में तहसीलदार को कब्जे के संबंध मे रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हुए है, परन्तु रिपोर्ट प्राप्त करने से पूर्व ही विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 3704 रकबा 0.60 हैक्टेयर पर रिसीवरी के आदेश दिए है जो कि विधानिक है।

सी तथ्य को 1998 आर.बी.जे. 127 पर प्रतिपादित किया गया है:–

Appointment of receiver is a harsh remedy. a man in possession should not be dispossessed in the grab of receiver. The property should be found in medio."

. इस प्रकार अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा अपीलांट जो कि वादित आराजीयात की रिकॉर्डेड सहखातेदार काबिज काश्तकार है, को बिना सुनवाई के टिस जारी किए, निर्णय में तहसीलदार से कब्जे बाबत् रिपोर्ट का आदेश दिए जाने एवं ोर्ट प्राप्त से पूर्व ही रिसीवरी के जो आदेश दिए गए है। वह कानूनी प्रावधान के विपरीत म् विधि के विरूद्व होने से अपास्त योग्य है।

अतः उपर्युक्त विवेचना के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार योग्य पाए जाने से स्वीकार जाती है। अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी सवाई माधोपुर के निर्णय ांक 30.01.2020 बउनवान श्यामलाल बनाम श्योनारायण वगैरहा को खारिज किया जाता खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें। निर्णय आज दिनांक 28.11.2022 को सरे लास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(हरि राम मीना)
28.11.22
राजस्व अपील प्राधिकारी,
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.02 10:37:28 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner